रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 5, 2017/आश्विन 13, 1939
No. 385] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 5, 2017/ASVINA 13, 1939

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2017

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017

सं.आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.017.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: —

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2017 में,—

   (i) प्रारंभिक पैरा से पूर्व "भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान) विनियम, 2017" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

   "भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2017"

   (ii) विनियम 37 के उप-विनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

   "(1क). समाधान योजना में इस बारे में एक कथन शामिल होगा कि उसमें कारपोरेट ऋणी के समस्त हितधारकों के, जिसके अंतर्गत वित्तीय लेनदार और प्रचालन लेनदार भी हैं, हितों का निपटारा किस प्रकार किया गया है।"

[विज्ञापन-III/4/असा./253/17]

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.012, तारीख 14 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उसमें भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.014, तारीख 16 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2017 द्वारा संशोधन किया गया था |

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2017

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (FAST TRACK INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS FOR CORPORATE PERSONS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2017

No. IBBI/2017-18/GN/REG017.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 0f 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Fast Track Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2017, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Fast Track Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Fast Track Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2017,—

   (i) before the opening paragraph, for the words "INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (INSOLVENCY RESOLUTION FOR CORPORATE PERSONS) REGULATIONS, 2017", the following shall be substituted, namely: —

   "INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (FAST TRACK INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS FOR CORPORATE PERSONS) REGULATIONS, 2017";

   (ii) in regulation 37, after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

   "(1A) A resolution plan shall include a statement as to how it has dealt with the interests of all stakeholders, including financial creditors and operational creditors, of the corporate debtor."

[ADVT.-III/4/Exty./253/17]

DR. M.S. SAHOO, Chairperson

Note : The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Fast Track Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification No. IBBI/2017-18/GN/REG012 dated the 14th June, 2017 and were amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Fast Track Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification No. IBBI/2017-18/GN/REG 014 dated the 16th August, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.10.07 11:00:54 +05'30'